न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारीः– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.– 31/2020
सी.सी.एम.एस. : 2020/00342

1. भूराराम पुत्र दुदाराम जाति कुम्हार निवासी कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर
2. मनीराम पुत्र दुदाराम जाति कुम्हार निवासी कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर
3. झाबरमल पुत्र दुदाराम जाति कुम्हार निवासी कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर

–:प्रार्थीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिहनगर

–:अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री सिकन्दर सिंह सवना, वकील प्रार्थीगण
2. राजपैरोकार

–: **निर्णय** :–

दिनांक : 25.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 60 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 24 प.नं. 171/269 के कि.नं. 20/1 में 0.228है., 21ता24 सालम सालम कुल 1.235है. नहरी प्रार्थी भूराराम के नाम से व इसी मुरब्बा के कि.नं. 11 ता 13 सालम सालम, 16/1 में 0.213है., 17 ता 19 सालम सालम, 20/2 में 0.030है. कुल 1.761है. नहरी प्रार्थी मनीराम के नाम से व इसी मुरब्बा के कि.नं. 4 व 5 प्रत्येक 0.228है., व 6–7–8–14–15 सालम सालम, 16/2 में 0.040है. कुल 1.761है. नहरी भूमि प्रार्थी झाबरमल के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। प्रार्थीगण अपनी भूमि चक 60 आरबी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 24 प.नं. 171/269 के कि.नं. 4–7–14–17–24 में पश्चिमी पासा 1–1 बिस्वा भूमि में रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। रास्ता स्वीकृति में प्रार्थीगण एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं करना चाहते हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका/रिकार्ड जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2021/35 दिनांक 11.01.2021 प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट चक 60 आरबी प.नं. 171/269 मु.नं. 24 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025है. गैर मुमकिन रासता दर्ज रिकार्ड हैं। इस रास्ते से प्रार्थी सं. 1 भूराराम, प्रार्थी सं. 2 मनीराम को अपने खेत में पहुंचने हेतु कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं हैं। प्रार्थीगण आपस में सगे भाई हैं। चक 60 आरबी प.नं. 171/269 मु.नं. 24 के कि.नं. 1 ता 5 में स्वीकृत शुदा रास्ता से इसी मु.नं. के कि.नं. 4–7–14–17–24 प्रत्येक में 0.013है. कुल 0.065है. रास्ता खातेदारान की सहमति होने के कारण बिना किसी प्रतिफल के स्वीकृत किया जाना उचित हैं।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण बिना किसी प्रतिफल के आपसी सहमति से रास्ता स्वीकार करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। चूंकि प्रकरण में प्रार्थीगण सहमति से रास्ता स्वीकार करवाना चाहते हैं। तथा तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी सं. 1 भूराराम, प्रार्थी सं. 2 मनीराम को अपने खेत में पहुंचने हेतु कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी[illegible] किया जाकर चक 60 आरबी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 24 प.नं. 171/269 के कि.नं. 4[illegible]14–1[illegible]4 में पश्चिमी पासा 1–1 बिस्वा गैर मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त[illegible] राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:50:50 IST
Reason: SelfAttested

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner